न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3375/2021 /जोधपुर

1– कानाराम पुत्र किशनाराम,

2– जोराराम पुत्र किशनाराम,

3– रूपाराम पुत्र किशनाराम,

4– मोहनराम पुत्र किशनाराम,

5– हनुमानराम पुत्र किशनाराम,

6– सहीराम पुत्र किशनाराम,

7– चेनाराम पुत्र किशनाराम,

8– बाबूराम पुत्र किशनाराम,

9– प्रेमनारायण पुत्र किशनाराम,

10– श्रीमती वीरादेवी पत्नि किशनाराम,

समस्त जाति विश्नोई, निवासी ग्राम आमलियावास, पोस्ट खेड़ी सालवा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– भल्लाराम पुत्र गोपाराम,

2– मंगीलाल पुत्र गोपाराम,

3– ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम,

4– चतुराराम पुत्र मोतीराम,

–रेस्पोंडेंट/वादीगण

5– खंगाराम पुत्र बींजाराम,

6– मेघसिंह पुत्र बींजाराम,

7– भारमल पुत्र बींजाराम,

8– प्रभुराम पुत्र बींजाराम,

समस्त विश्नोई, निवासी ग्राम आमलियावास पोस्ट खेड़ी सालवा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर ।

9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड–पीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स ।

श्री विरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ।

निर्णय

दिनांकः–

प्रश्नगत अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2021 जो कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 55/2010 उनवानी गोपाराम बनाम खंगाराम आदि में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4/वादीगण ने एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांट्स व शेष रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 एक ही पिता व दादा की संतान है तथा

प्रारंभ से ही आमलियावास (खेड़ी की ढाणी) तहसील भोपालगढ़ के निवासी है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील जोधपुर के ग्राम रामनगर पटवारी क्षेत्र सालवाकंला स्थित आराजी खसरा नंबर 738 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा किस्म बी–ााा, खसरा नंबर 739 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा किस्म बी–ााा, खसरा नंबर 489 रकबा 110 बीघा 19 बिस्वा किस्म बी–ााा, खसरा नंबर 506 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा किस्म बी–ााा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है । इस प्रकार स्व0 मोतीराम के चारों पुत्र क्रमशः बींजाराम, स्व0 किशनाराम, गोपाराम व चतुराराम का उपरोक्त आराजी में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अर्थात् 65–01 बीघ है । उक्त चारों खसरा नंबर का माप एवं सीमांकन से बंटवारा नहीं हुआ है । बींजाराम व किशनाराम कर्ता खानदान होने से विवादग्रस्त भूमि में इनका नाम दर्ज हो गया जबकि चारों भाईयों के नाम हिस्सा दर्ज होना चाहिये । अंत में अनुतोष चाहा कि ग्राम रामनगर तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 738, 739 में अकेले प्रतिवादी संख्या 5 से 13 व स्व0 किशनाराम पुत्र मोतीराम की जगह वादीगण संख्या 1 से 4 का नाम खातेदार दर्ज फरमावे तथा खसरा नंबर 489 के पूरे रकबे में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ 1/3–1/3 नाम दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 5 से 13 का नाम पूरे रकबे से हटाया जावे । इसी तरह ख्पासरा नंबर 506 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा जमीन में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के साथ वादीगण का नाम 1/4, 1/3 हिस्से से दर्ज फरमावे तथा उक्त चारों खसरा नंबरान का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस चारों में विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दर्ज की जावे और अलग मुटाम कायम करके डिक्री जारी की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया ।

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2010 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया और प्रतिवादी संख्या 5 से 14/अपीलांटस का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

3— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में व समाज के मौजीज लोगों की समझाईश से राजीनामा हुआ है जिससे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष सदैव पाबंद रहेगे । उभयपक्ष ने उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

5— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा राजीनामे पर की गई बहस पर मनन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आरायिजात के संबंध में राजीनामा प्रस्तुत हुआ है जो नोटेरी से तस्दीकशुदा है । उक्त प्रस्तुत राजीनामे को राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 14.02.2022 द्वारा तस्दीक हेतु निबंधक कोर्ट को निर्देश प्रदान किये गये । अति0निबंधक (न्याय) द्वारा उक्त राजीनामे को दिनांक 14.02.2022 को ही पक्षकारान एवं उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया

गया। तस्दीकशुदा राजीनामे अनुसार अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के मध्य विवादित आराजियात बाबत् आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है । ऐसी स्थिति में प्रकरण राजीनामे अनुसार निस्तारण हेतु विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– फलस्वरूप राजीनामे अनुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2010 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के मध्यनजर उभयपक्ष को सुनकर मूल वाद का तीन माह में निस्तारण करे ।

9– पक्षकारान की और से प्रस्तुत मूल तस्दीकशुदा राजीनामा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को भिजवाया जावे तथा राजीनामे की एक प्रति मण्डल की पत्रावली में संलग्न की जावे ।

10– पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक को उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में उपस्थित हो ।

11– निर्णय सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य